न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 83/2012

प्रार्थी
भाखराराम पुत्र विरधाराम जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

बनाम

अप्रार्थीगण
1.ग्राम पंचायत गुड़ामालानी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ामालानी
2.जाट समाज विकास एंव छात्रावास संस्थान,गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 252 दिनांक 01.02.2008 जो ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितिः–प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 15.11.2017

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 जाट समाज विकास संस्थान,गुड़ामालानी ने सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ामालानी को ग्राम गुड़ामालानी की आबादी भूमि खसरा नम्बर 1683 में पट्टा दिलाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया। इस पर ग्राम पंचायत गुड़ामालानी ने पत्रावली संख्या 256/07 कायम कर, अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 01.02.2008 को नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 252 जारी कर दिया। प्रार्थी का यह कथन है कि नियम 157(2)राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत 300 वर्ग गज से अधिक एंव संस्था को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इस पट्टा विलेख को नियम विरूद्ध जारी करना बताते हुए प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत गुड़ामालानी से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया।
3. अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया,फलस्वरूप दिनांक 14.06.017 को अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब बन्द किया। दिनांक08.11.2017 को दौरान बहस अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा No instruction

जिला कलक्टर
बाड़मेर

plead करने एंव अप्रार्थी संख्या 01 अथवा उसकी ओर से अन्य कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

4. वक्त बहस पक्षकारान के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। निगरानी पत्रावली एंव ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत गुड़ामालानी ने अप्रार्थी संख्या 2 अध्यक्ष जाट समाज विकास एंव छात्रावास संस्थान गुड़ामालानी के पक्ष में 200/–राशि वसूल कर पट्टा संख्या 252 दिनांक 01.02.2008 को जारी किया गया है। जिसे खारिज करने हेतु प्रार्थी ने धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष निगरानी पेश की है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड क्रय करना चाहता है तो अपने आवेदन पत्र में भूमि का विवरण देगा जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो और आवेदन पत्र के साथ 25/–की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/–जमा कराने चाहिये। मगर इस मामले में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा राशि जमा कराने का कोई साक्ष्य ग्राम पंचायत की पत्रावली में नहीं है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अनंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थी। इस मामले में कोई नोटिस जारी किया गया है।मगर नोटिस की प्रतियां किस किस स्थान पर चस्पा की गयी है इसका अंकन नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 को नियम 157(2) पुराने गृहो का नियमितिकरण के तहत जारी किया गया है नियम 157(2) के अनुसार ऐसे परिवार, जिनके पास हीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी, झोंफडी,कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होगें ऐसा भूमि का पट्टा(प्ररूप 23 ख में)ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा, जो ऐसे परिवार की मुखिया हो। मगर इस मामले में मौका कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मकान निर्मित होना,पुराना मकान होना और समाज विकास एंव छात्रावास संस्थान के नाम पट्टा जारी किया जा सकता है अथवा नहीं, अंकन नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157(2) के तहत 300 वर्ग गज तक का पट्टा जारी किया जा सकता है,जबकि ग्राम पंचायत गुड़ामालानी ने यह पट्टा 300 वर्ग गज से अधिक नाप का जारी किया है। ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 जाट समाज विकास एंव छात्रावास संस्थान के नाम से पट्टा संख्या 252 जारी किया गया है

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अप्रार्थी संख्या 02 व्यक्ति नहीं है,बल्कि एक संस्था है संस्था का गृह नही हो सकता। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत संस्था को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ग्राम पंचायत, गुड़ामालानी ने नियम 145, 147, 148 एंव 157 की पालना नहीं कर नियम 157 के प्रावधानो के प्रतिकूल अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 01.02.2008 को पट्टा संख्या 252 जारी किया है, जो गलत एंव नियम विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 जाट समाज विकास एंव छात्रावास संस्थान के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 252 दिनांक 01.02.2008 निरस्त किया जाता है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

कार्यालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर